स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

असम विधान परिषद बिल, 2013

- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर बनी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरपर्सनः शांताराम नाइक) ने 17 फरवरी, 2014 को असम विधान परिषद बिल, 2013 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बिल को 10 दिसंबर, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था।
- बिल असम राज्य में विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव रखता है। राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए 14 जुलाई, 2013 को असम विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अनुवर्तन के रूप में राज्यसभा में यह बिल पेश किया गया।
- कमिटी ने असम राज्य में विधान परिषद के सृजन को समर्थन दिया। फिर भी, कमिटी ने यह दोहराया कि केंद्र सरकार को राज्य विधानसभाओं के उच्च सदन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पदस्थ सरकारों द्वारा उच्च सदनों का उन्मूलन नहीं किया जाएगा।
- वर्तमान में, शिक्षकों का निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें असम में कम से कम तीन वर्ष पढ़ाने वाले व्यक्ति आते हैं, चार सदस्यों को चुनते हैं। ग्रैजुएट निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें ऐसे मतदाता आते हैं जोकि पिछले तीन सालों से ग्रैजुएट हैं और असम में रहते हैं, चार सदस्यों को चुनते हैं। कमिटी ने यह राय दी कि शिक्षकों और ग्रैजुएट्स के निर्वाचन क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

26 फरवरी, 2014